सुरक्षित कार्यस्थल सबका अधिकार

क्या आपके काम करने की जगह पर महिला सहकर्मी सुरक्षित हैं? क्या उनके साथ छेड़–छाड़ या अश्लील व्यवहार होता है? क्या इस व्यवहार के खिलाफ़ आपका मालिक कोई कार्यवाही करता है?

एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्यस्थल सभी का अधिकार है, जहां काम करने वाली सभी महिलाओ को शोषण या भय के बिना कार्य करने की आज़ादी हो।कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न कानून 2013 के तहत, प्रत्येक महिला कर्मचारी को अधिकार है की वह कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यवाही की मांग करे।

यौन उत्पीड़न क्या है:

- बहुत नज़दीक आ कर बात करना
- मर्जी के बिना छूना
- यौनिक सम्बन्ध की मांग करना
- किसी व्यक्ति का आपका पीछा करना
- अश्लील पुस्तके, तस्वीरे, गाने या साहित्य दिखाना
- फ़ोन, वाट्सएप के ज़रिये मेसेज या तस्वीरे भेजना
- अश्लील और अभद्र इशारे करना, सीटी मारना या गाने गाना
- यौनिक प्रकृति के मज़ाक या टिपण्णी

स्थानीय समिति क्या है:

सरकारी आदेश अनुसार सभी ज़िलों में स्थानीय समिति बनानी आवश्यक है:

- अपने ज़िले में कार्यरत समिति की जानकारी साथ रखे और ज़रुरत पड़ने पर संपर्क करे।
- स्थानीय समिति को दी गयी शिकायत में आपका नाम, पद, फोन नंबर, घटना का विवरण, समय तारीख, स्थान इत्यादि दर्ज करे।

यह कानून किस के लिए है:

- इस कानून के अंतर्गत ऐसी कोई भी महिला, जो असंगठित क्षेत्र में काम करती है या खुद का रोज़गार करती है, वह कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत ज़िला स्तर पर स्थानीय समिति को कर सकती है

आवाज़ उठाये! मदद मांगे!
इसे अनदेखा न करे!

तो आईये, हम सब मिलकर यौन उत्पीड़न को ख़त्म करें और सुरक्षित कार्यस्थलों की संरचना करें

Knowledge. Voice. Democracy.
PRIA

Martha Farrell FOUNDATION

सहयोग : भारत में नीदरलैंड एम्बेसी